उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19—सी, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226001

सूचना / विज्ञप्ति

पत्र संख्याः पीआरपीबी—भ—9—575 / 2018 दिनांकः सितम्बर 20, 2019

सिविल अपील संख्याः 11370 / 2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—11—2018 के अनुपालन में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस / प्लाटून कमाण्डर, पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती—2011 के अन्तर्गत 769 रिक्त पदों का चयन परिणाम के सम्बन्ध में।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्याः 11370 / 2018 आलोक कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27—11—2018 के द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस / प्लाटून कमाण्डर, पीएसी सीधी भर्ती—2011 के अन्तर्गत चयनित कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण में सम्मिलित न होने, चिकित्सा परीक्षा / चरित्र सत्यापन में असफल होने के कारण रिक्त 607 पदों एवं स्वत्रंतता संग्राम सेनानी के आश्रित के 226 अनभरे पदों (कुल 833 पदों) को मुख्य लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर आरक्षण के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये भरे जाने का आदेश पारित किया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25—07—2019 के द्वारा उक्त भर्ती प्रकिया को 08 सप्ताह के अन्दर पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2— मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में बोर्ड स्तर पर उपरोक्त रिक्तियों का परीक्षण करने पर पाया गया कि 833 पद के स्थान पर वास्तविक रूप से कुल 831 पद रिक्त है।

3— 831 रिक्त पदों को भरने की चयन प्रकिया बोर्ड द्वारा पूर्ण की गयी, जिसमें 769 रिक्त पदों (उप निरीक्षक ना0पु0—685 एवं प्लाटून कमाण्डर,पीएसी—84) पर उपयुक्त / पात्र अभ्यर्थी पाये गये। चयन सूची आरक्षण के विहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की श्रेष्ठता (Merit) के आधार पर व अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गयी है।

4— आरक्षित वर्ग—अनुसूचित जनजाति के 62 पद उपयुक्त / पात्र अभ्यर्थियों की अनुलब्धता के कारण भरे नही गये है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन—जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रस्तर—3(3) में निहित प्राविधानों के अनुसार ये पद अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से ही भरे जाने प्रावधान है।

5– उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर 685 अभ्यर्थियों को तथा लाटून कमाण्डर, पीएसी के पद पर 84 अभ्यर्थियों को चयनित हुए चयन परिणाम घोषित किया जा रहा है। श्रेणीवार, पदवार अन्तिम चयनित अभ्यर्थी का कटऑफ मार्क्स निम्नवत हैः–

लम्बवत श्रेणी	उप निरीक्षक नागरिक पुलिस	प्लाटून कमाण्डर, पीएसी
अनारक्षित (सामान्य)	323.8333	323.5
अन्य पिछड़ा वर्ग	312.75	312.25
अनुसूचित जाति	243.5833	212.1667
अनुसूचित जनजाति	–	–

6– यह चयन अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण और कागजातों/चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के अधीन है।

7– यह चयन परिणाम की सूची बोर्ड की वेबसाइट **http://uppbpb.gov.in** पर उपलब्ध है। जो सूचनायें इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

20/7/17

अपर सचिव, भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।